राजभाषा के विषय में संवैधानिक प्रावधान

1.

अनुच्छेद 343(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। (1234567890)

अनुच्छेद 343(2) संविधान के लागू होने से 15 वर्ष की अवधि अर्थात् 1965 तक उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए संविधान के लागू होने से पहले किया जाता था।

2. अष्टम अनुसूची

भाषाएं:- 1. असमिया 2. उड़िया 3. उर्दू 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. तेलगु 9. पंजाबी 10. बंगला 11. मराठी 12. मलयालम 13. संस्कृत 14. सिंधी 15. हिंदी 16. मणिपुरी 17. नेपाली 18. कोंकणी 19. बोडो 20. संथाली 21. मैथिली 22. डोगरी।

3. राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के अंतर्गत राजभाषा के प्रयोग की दृष्टि से देश को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है:-

क्षेत्र:-

क - बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली संघ राज्य, निकोबार द्वीप समूह, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल।

ख - गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ , दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य।

ग - क एवं ख में दिखाए राज्यों को छोड़कर शेष सभी।

4. हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान- मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण की हो तो कर्मचारी को हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, माना जाएगा।

हिंदी में प्रवीणता प्राप्त- मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण की हो तो कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, माना जाएगा।

धारा 3(3)

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस में किसी भी कार्यालय को कोई छूट नहीं है। इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात अनिवार्य रूप से हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषिक जारी किए जाने अपेक्षित हैं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार ऐसे प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया प्रलेख द्विभाषी है या नहीं। इसके अंतर्गत आने वाले कागजात निम्नलिखित हैं -

क. सामान्य आदेश, परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि (General Orders, Circulars, Office Orders etc.)

ख. सूचनाएं (आरक्षण चार्ट सहित (Notices (including Reservation chart)

ग. संकल्प (Resolutions)

घ. अधिसूचनाएं (Notifications)

ड़. प्रेस विज्ञप्तियां (Press communiques)

च. संविदाएं (Contracts)

छ. करार (Agreements)

ज. लाइसेंस (Licenses)

झ. परमिट (Permits)

ञ. नियम(Rules)

ट. टेंडर के फार्म और नोटिस (Tender Forms & Notices)

ठ. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट (Administrative or other reports)

ड. संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रसासनिक या अन्य रपट (Administrative or other reports laid before a House or the Houses of Parliament)

10(4) – राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

8(4) – राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4)के अनुसार अधिसूचित कार्यालयों में विषय विनिर्दिष्ट करने का प्रावधान है ताकि विनिर्दिष्ट विषयों में हिंदी का शत-प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला में सरकारी काम-काज में राजभाषा के प्रयोग प्रसार को बढावा देने के लिए लागू विभिन्न पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं।

क)   **<u>गृह मंत्रालय की नकद पुरस्कार योजना -</u>** इस योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है जो वित्तीय वर्ष में कम से कम **20,000** शब्द हिंदी में लिखते हैं। पुरस्कार की राशि निम्न प्रकार है -

प्रथम पुरस्कार (दो)	-	₹ 5000/- प्रत्येक
द्वितीय पुरस्कार(तीन)	-	₹3000/- प्रत्येक
तृतीय पुरस्कार(पांच)	-	₹ 2000/- प्रत्येक

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के दो अधिकारियों (एक हिंदी भाषी तथा एक अहिंदी भाषी) को ₹ **5000/-5000/-**(प्रत्येक) के दो पुरस्कार दिए जाते हैं।

ख)   **<u>राजभाषा उत्कृष्ट सेवा मासिक पुरस्कार</u>** - प्रत्येक माह राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक व प्रशंसनीय कार्य करने वाले एक अधिकारी/कर्मचारी को महाप्रबंधक द्वारा ₹ **1000/-** का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह योजना रेडिका में स्थानीय तौर पर लागू की गई है।

ग)   **<u>रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना -</u>** राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक व प्रशंसनीय कार्य करने वाले अधिकारी / कर्मचारी को रेलवे बोर्ड द्वारा ₹.**3000**/- के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है।

(घ)   **<u>मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार -</u>** हिंदी में काव्य लेखन पर रेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाते हैं -

प्रथम पुरस्कार	-	₹ 20,000/-
द्वितीय पुरस्कार	-	₹ 10,000/-
तृतीय पुरस्कार	-	₹ 7,000/-

(च)   **<u>प्रेमचंद पुरस्कार-</u>** हिंदी में उपन्यास लेखन पर रेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाते हैं

प्रथम पुरस्कार	-	₹ 20,000/-
द्वितीय पुरस्कार	-	₹ 10,000/-
तृतीय पुरस्कार	-	₹ 7,000/-

छ)   **<u>लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना</u>**

रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे के प्रतिभावान कर्मचारियों के लिए तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने पर लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना लागू की गई है । इस योजना में निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है।

प्रथम पुरस्कार	-	₹20,000/-
द्वितीय पुस्कार	-	₹10,000/-
तृतीय पुरस्कार	-	₹ 7,000 /-

ज)   **<u>इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना -</u>** केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने पर निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाते हैं -

प्रथम पुरस्कार	-	₹60,000/
द्वितीय पुरस्कार	-	₹45,000/-

तृतीय पुरस्कार - ₹30,000/-

प्रोत्साहन पुरस्कार - ₹15,000/-

झ) **रेल यात्रा वृतांत योजना-** आम लोगों और रेल कर्मियों के रेल यात्राओं संबंधी अनुभव प्राप्त करने और उस आधार पर रेलों द्वारा अपनी छवि को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय , रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल स्तर पर रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना चलाई गई है । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में पाए गए सर्वोत्तम यात्रा वृतांतों के विजेता व्यक्तियों को निम्न पुस्कार दिए जाते हैं -

प्रथम पुरस्कार - ₹10,000/-

द्वितीय पुस्कार - ₹8,000/-

तृतीय पुरस्कार - ₹6,000/-

सांत्वना पुरस्कार (05) - ₹4,000/-(प्रत्येक)

(ञ) **आर्थिक विषयों पर हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन योजना - (वित्त मंत्रालय)** इसमें सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं ।

पुरस्कार- प्रथम **-** ₹50,000/-

द्वितीय **-** ₹40,000/-

तृतीय **-** ₹30,000/-

(ट) **हिंदी टंकण/ आशुलिपि प्रशिक्षण-** अंग्रेजी टंककों / आशुलिपिकों द्वारा हिंदी टंकक / आशुलिपि परीक्षा पास करने पर एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयत्तिक वेतन प्रदान किया जाता है तथा अहिंदी भाषी आशुलिपिकों को पहले वर्ष दो वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयित्तिक वेतन प्रदान किया जाता है । परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने पर निम्न प्रकार नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते है:-

- 97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - ₹ 2400/-
- 95% या इससे अधिक और 97% से कम अंक प्राप्त करने पर - ₹ 1600/-
- 90% या इससे अधिक और 95% से कम अंक प्राप्त करने पर- ₹800/-

हिंदी आशुलिपि

- 95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर - ₹ 2400/-
- 92% या इससे अधिक और 95% से कम अंक प्राप्त करने पर- ₹ 1600/-
- 88% या इससे अधिक और 92% से कम अंक प्राप्त करने पर - ₹ 800/-
-

(ठ) **अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में आशुलिपि और टंकण कार्य के लिए प्रोत्साहन-** अंग्रेजी के आशुलिपिक / टंककों द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में अपना सरकारी कामकाज पर क्रमश : ₹ 240/-एंव ₹160/- प्रतिमाह विशेष भत्ता दिया जाता है ।

(ड) **<u>हिंदी प्रशिक्षण-</u>** हिंदी न जानने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ या उसके समकक्ष परीक्षा पास करने पर एक वर्ष के लिए वेतन वृध्दि के बराबर राशि का वैयत्तिक वेतन दिया जाता है और परीक्षा मे अधिक अंक प्राप्त करने पर निम्न प्रकार के नकद पुरस्कार भी दिये जाते है:-

<u>प्रबोध</u>

- 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- ₹ 1600/-
- 60% या इससे अधिक और 70% से कम अंक प्राप्त करने पर - ₹800/-
- 55% या इससे अधिक और 60% से कम अंक प्राप्त करने पर- ₹ 400/-

<u>प्रवीण</u>

- 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- ₹ 1800/-
- 60% या इससे अधिक और 70% से कम अंक प्राप्त करने पर - ₹ 1200/-
- 55% या इससे अधिक और 60% से कम अंक प्राप्त करने पर- ₹ 600/-

<u>प्राज्ञ</u>

- 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- ₹ 2400/-
- 60% या इससे अधिक और 70% से कम अंक प्राप्त करने पर - ₹ 1600/-
- 55% या इससे अधिक और 60% से कम अंक प्राप्त करने पर- ₹ 800/-

ढ) **<u>हिंदी निबंध, टिप्पण व प्रारूप लेखन व हिंदी वाक् प्रतियोगिता</u>**:- प्रत्येक वर्ष हिंदी सप्ताह के दौरान हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण व प्रारूप लेखन एंव हिंदी वाक् प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसमें प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को निम्न पुरस्कार दिए जाते हैं

प्रथम पुरस्कार (1)	-	₹ 2000/-
द्वितीय पुरस्कार (1)	-	₹ 1600/-
तृतीय पुरस्कार (1)	-	₹1200/-
सांत्वना पुरस्कार(3)	-	₹ 800/- (प्रत्येक)

(ण) **<u>उर्जा के नए एवं नवीकरण के स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन</u> एवं अनूदित पुस्तकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना -(ऊर्जा मंत्रालय)**

प्रथम पुरस्कार	-	₹ 20,000/-
द्वितीय पुरस्कार	-	₹15,000/-
तृतीय पुरस्कार	-	₹ 10,000/-

(त) **<u>हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार</u>** - भारत के नागरिकों को तकनीकी /विज्ञान की विभिन्न विधाओं (जैसे इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्यो. इत्यादि) अथवा समसामयिक विषयों (जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, मानवाधिकार, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि)पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है । भारत का कोई भी नागरिक इस योजना में भाग ले सकता है । पुरस्कारों की राशि निम्न प्रकार है -

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	₹2,00,000,प्रमाण- पत्र तथा स्मृति चिह्न ।
द्वितीय पुरस्कार(एक)	-	₹1,25,000,प्रमाण- पत्र तथा स्मृति चिह्न ।
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	₹75,000, प्रमाण- पत्र तथा स्मृति चिह्न ।
सांत्वना पुरस्कार(दस)	-	₹10,000 , प्रमाण- पत्र तथा स्मृति चिह्न प्रत्येक को ।

(थ) **<u>हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार –</u>** केंद्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है । पुरस्कारों की राशि निम्न प्रकार है -

प्रथम पुरस्कार	-	₹1,00,000, प्रमाण- पत्र तथा स्मृति चिह्न ।
द्वितीय पुरस्कार	-	₹75,000, प्रमाण- पत्र तथा स्मृति चिह्न ।
तृतीय पुरस्कार	-	₹60,000, प्रमाण- पत्र तथा स्मृति चिह्न ।
सांत्वना पुरस्कार	-	₹30,000, प्रमाण-पत्र तथा स्मृति चिह्न ।

(द) **<u>सामूहिक पुरस्कार योजना</u>**

रेलवे बोर्ड द्वारा सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए **"राजभाषा सामूहिक पुरस्कार योजना"** लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा वर्षभर में (जनवरी से दिसंबर तक) हिंदी में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है और उसके आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं ।

प्रथम पुरस्कार	-	₹ 12,000/-
द्वितीय पुरस्कार	-	₹ 8,000/-
तृतीय पुरस्कार	-	₹ 6,000/-

वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक कार्यक्रम (सार संक्षेप)

क्रम सं०	कार्य विवरण	ख" क्षेत्र	लक्ष्य
01.	हिंदी में मूल पत्राचार (टेलेक्स,फैक्स, ई-मेल आदि सहित)	'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को	90%
		'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को	90%
		'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को	55%
		'ख' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	100%
02	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना		100%
03	हिंदी में टिप्पण		50%
04	हिंदी टाइपिस्टों, स्टेनो की भर्ती		70%
05	हिंदी में डिक्टेशन		55%
06	हिंदी प्रशिक्षण(भाषा, टाइपिंग, स्टेनोग्राफी)		100%
07.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।		100%
08.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोडकर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई- पुस्तक , सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में से हिंदी अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय ।		50%
09	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।		100%
10	वेबसाइट		100%(**द्विभाषी)**
11.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन		100% **(द्विभाषी)**
12.	मंत्रालयों / विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों **का निरीक्षण** (कार्यालयों का प्रतिशत) **(II)** मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण		25% (न्यूनतम) 25% (न्यूनतम)
13	राजभाषा संबंधी बैठकें राजभाषा कार्यान्वयन समिति		**वर्ष में चार बैठकें(प्रति तिमाही एक बैठक)**
14	कोड,मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद		100%
15.	ऐसे अनुभाग **जहां सारा कार्य हिंदी में हो**		30%**(न्यूनतम अनुभाग)**